राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना–II, करौली
Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007

क्रमांकः एफ ( ) 2021–22/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर.II/5024 दिनांक :– 21-12-2022
निमित्

ए.वी.पी जीओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि.
प्रथम तल आन्नद भवन, संसारचन्द रोड जयपुर।

विषय :- Permission for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from Mandrayal to Gathi Ka Gaon to Kutalpur from Lat/Long 26.018002/76.695504 to 26.304384/77.231002 for length of 72.514 Kms & area 3.263 ha in & outside of forest area in Karauli District. Total Length & area applied in Forest & non forest is 15.637 KM and 0.704 ha & 56.877 & 2.5 Proposal No : FP/RJ/OFC/150679/2021. For Forest clearance.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मण्डरायल जिला करौली से गढी का गॉव/कूतलपुर जिला सवाई माधोपुर तक ऑप्टिकल फाईबर केबल पारेषण किये जाने हेतु स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्ताव कैलादेवी व राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य तथा रणथम्भौर टाईगर रिजर्व (सीटीएच) से व इनके ईको संसेटिव जॉन क्षेत्र से गुजरना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव का इस कार्यालय स्तर से परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार संशोधन एवं दस्तावेज/रिपोर्ट वांछनिय पाये गये–

1. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु ए–1 (vii) में प्रस्ताव की लागत 217.543 लाख रूपयें दर्ज की गई है व प्रस्ताव के साथ संलग्न ड्राफ्ट वर्क ऑर्डर में प्रस्ताव की लागत 46.911 लाख रूपये है तथा वन्य जीव स्वीकृति के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/4739/2019 में प्रस्ताव की लागत 49.53 लाख रूपये दर्ज की गई थी जो परस्पर विरोधाभासी है। वस्तु स्थिति स्पष्ट करें तथा प्रस्ताव का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड करावें।
2. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु ए–1 (viii) में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि 0.704 हैं0 दर्ज की गयी है। जो सही नहीं है। प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत जिला करौली की वनभूमि के 7 खण्ड (कैलादेवी अभ्यारण्य के अर्न्तगत 6 खण्ड व 1 खण्ड अभ्यारण्य से बाहर) आ रहें है। जबकि आपके द्वारा अभ्यारण्य के बाहर के खण्ड को प्रस्ताव में सामिल नहीं किया है। प्रस्तावित क्षेत्र से प्रभावित समस्त वन भूमि की पुनः शुद्ध गणना करावें एवं उक्तानुसार ही प्रस्ताव के बिन्दू बी–2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बिन्दु सी एवं डी के समस्त भागों के साथ ही केएमएल, टोपोशीट मैप व जीओ रेफरेन्श मैप में बराबर संशोधन करावें।
3. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु ए–1 (x) में फारेस्ट कि स्वीकृति की आवश्यकता का समय निल लिखा गया है। जो सही नहीं है। सही परिविष्टि वांछनिय है।
4. प्रस्ताव के भाग– I के बिन्दु बी–2.3 में प्रस्तावित भूमि का ग्रामवाईज अलग–अलग विवरण दर्ज करावें।
5. प्रस्ताव के भाग– I के बिन्दु सी–(iii) व (iv) में संलग्न टोपोशीट मैप व जीओ रेफरेन्स मैप में चम्बल नदी के किनारे से 1 किलोमीटर की दूरी तक के राष्ट्रीय चम्बल आभ्राण्य की सीमा मार्क नहीं की गई है तथा बारचार्ट में भी चम्बल अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले प्रस्ताव के भाग (कैलादेवी अभ्यारण्य को छोड कर) को भी नहीं दर्शाया गया है। आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
6. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु डी– (i) पर संलग्न जस्टिफिकेशन व प्रोजेक्ट नोट जेडीएफपीएल सही नहीं है। कृपया प्रस्तावित परियोजना के संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र से प्रभावित होने वाले संरक्षित क्षेत्रों का विवरण, परियोजना की लागत तथा प्रभावित वन भूमि/गैर वनभूमि, संरक्षित क्षेत्र

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना–II, करौली

Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007

के अन्तर्गत वन भूमि/गैर वनभूमि, इएसजेड के अन्तर्गत वन भूमि/गैर वन भूमि, इएसजेड के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र की लम्बाई/क्षेत्रफल का उल्लेख हो अपलोड करावें।

7. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु आई– में प्रस्तावित क्षेत्र को किसी भी संरक्षित क्षेत्र व उसके इएसजेड से नहीं गुजरना बताया है, जो सही नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र कैलादेवी व राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य तथा रणथम्भौर टाईगर रिजर्व (सीटीएच) से व इनके ईको सेंसेटिव जॉन में ही प्रस्तावित है। आवश्यक संशोधन वांछनिय है।
8. प्रस्ताव को मौजूदा सडक के आरओडब्ल्यू में प्रस्तावित होना बताया गया है जबकि प्रस्तावित/स्वीकृति से संबन्धित क्षेत्र में सडक मौजूद नहीं है एव ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग/किसी अन्य यूजर एजेंसी के पक्ष में उक्त वन भूमि का प्रत्यावर्तन हुआ है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र में आरओडब्ल्यू नहीं है। प्रस्ताव के टाइटल/शीर्षक सहित अन्य समस्त सूचनाओं/अंडरटेकिंग्स में आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
9. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वन भूमि की खसरा नं. वाईज अलग–अलग क्षेत्रफल गणना रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है। कृपया प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वन भूमि की खसरा नं. वाईज अलग–अलग क्षेत्रफल गणना रिपोर्ट राजस्व विभाग से प्राप्त व प्रमाणित कराकर अपलोड करावें।
10. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दूरी के दायरें में कोई भी ब्लास्टिंग नहीं करने का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग अपलोड करावें।

कृपया अधुरा/गलत प्रस्ताव प्रेषित ना करें इससे राजकार्य प्रभावित होते है व अनावश्यक विलम्ब होता है। उपरोक्तानुसार संशोधनों से संबन्धित किसी भी सहायता व जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(डॉ0 रामानंद भाकर I.F.S.)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजना–II करौली

कमांकः एफ ( ) 2021–22/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर.II/5025-27 दिनांक :– 21-12-2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।
3. उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजन–II करौली

C:\Users\indian\Desktop\FCA LETTER.docx